

संख्या

7047

रु.

17-12-12



## सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 221<sup>b</sup> / 20/3/14

फाइल संख्या मध्य - 35 002

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ~~स्थीमती सुरजमुरवी शिल्प समिति~~

~~निकट देलवे रजिस्ट्रेशन व्यापारी नगर समूह~~

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1853/2003-04

दिनांक 16-12-2003 को दिनांक 16-12-2013 से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1. 1077 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 16-12-2013

सोसाइटी के राजस्वार,

उत्तर प्रदेश।

पी०८०७०६०१०-८०१० ६ फर्न निवन्धक-1.02.2009-(419)-2,000-(कम्प्यूटर/आफरोद)

राजस्व  
साहित्यालय  
सुरजमुर खुड़, एटा



१० रुपये भारत सरकारी प्रिंटिंग सेल्स  
नंगल रोड वर्टेगांव शान्ति लगा  
लगा ३५००२  
संस्कृतिपत्र



१० रुपये  
सरकारी वित्त विभाग  
जामिया कार्यालय  
जामिया कार्यालय

16-12-03

१२-१२-८६  
सचिव  
सी००८०० महाविद्यालय  
हरयाणा पुर्ख, पटा

## स्मृति-पत्र

1-संस्था का नाम-

2-संस्था का पता-

3-संस्था का कार्यक्षेत्र-

4-संस्था के उद्देश्य-

श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति ।

निकट रेलवे स्टेशन शान्तीनगर एटा ।

सम्पूर्ण उ0प्र0 होगा ।

**उद्देश्य**

1- संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों नीं रथापाना बनाना व उनका विधेयत संचालन पर छात्र-छात्राओं का सामाजिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, चारिंगिक, आरीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति वा समुचित प्रयास करना ।

**ललितपुर**

**विद्यालय**

**लिंगाराम**

**बोधला**

**उद्धव**

**प्रिया**

**निती**

**विजय**

उच्च शिक्षा विगतास हेतु खगूल कालेज डिग्री कालेज एवं अन्य तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों नीं रथापाना करना एवं उनका संचालन करना ।

**उद्देश्य**

2- संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ अपांग अनुसूचित जाति जाति वर्चों को निशुल्क शिक्षा व लूंगे छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा वर्चों की सुविधा हेतु छात्रवास एवं प्रौद्योगिक विद्यालय, वाचनालय, कॉडा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना । एवं शैक्षिक विकास प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना ।

**उद्देश्य**

3- संस्था का उद्देश्य वर्चों को खावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निशुल्क खावलम्बी वाचनालय-प्रशिक्षण देकर अनियन्त्रित आत्म निर्भर एवं योग्य विद्यार्थी बनाना व सहयोग करना ।

**उद्देश्य**

4- कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गोजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क रखायित कर सहायता प्राप्त करना ।

**उद्देश्य**

5- समग्र-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रीढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, वालथ्रम उन्नयन कार्यक्रम, नद्यनियंथ कार्यक्रम चलाना ।

**उद्देश्य**

6- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम घोड़, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व खावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कलाई, नलाई, बुगाई, हरतशिल्पकला, वारतुकला, दस्तावरी, दरी, कालीग, झाइंग पेटिंग, नला प्रशिक्षण, तथा टंकण, आशुलिपि, संगीत एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर अनियन्त्रित आत्मनिर्भर बनाना, गण उनमें जागरूक गणा गरना । सास्ताहिक सारकृतिग्रामी गांवों संस्कृति का प्राशेषण देना ।

**उद्देश्य**

7- शिक्षा के उत्तरात्मक विकास हेतु कार्यकारी में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इंडस्ट्री गोडिएट कालेज नीं रथापाना करना व खलाना ।

**उद्देश्य**

8- सी0एस0 महाविद्यालय  
हरयन्दपुर खुर्द, एटा

5- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संरथा का कार्यभार सौंपा गया है-

क्रम सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री वलवीर सिंह पुत्रश्री फूल सहाय	डी-१७ जी.आई.सी. कालोनी एटा	अध्यक्ष	सेवारत
2-श्री निलग गाल सिंह पुत्रश्री भूष सिंह	मो० हालीपुरा एटा	उपाध्यक्ष	व्यापार
3-श्री चरन सिंह पुत्रश्री प्रेमाल सिंह	गिकट रलये रट्टेशन शान्तीनगर एटा	सचिव	व्यापार
4-श्रीमती गोलेश पत्नीश्री मनमोहन सिंह	ग्राम हरचन्दपुर खुर्द पो० नगलाधनू एटा	उपसचिव	गृहणी
5-श्रीमती रमेशलता पत्नीश्री रजनीश	ग्राम हरचन्दपुर खुर्द पो० नगलाधनू एटा	कोपाध्यक्ष	गृहणी
6-श्री उदयवीर सिंह पुत्रश्री शोगीलाल	ग्राम लालसिंह मो० टिमरुआ जिला-एटा	लेखापनीशक्त	कृषि
7-श्री दिनाश सिंह पुत्रश्री रुक्मपाल सिंह	ग्राम गोजरपुर मो० गिदोरा जिला-एटा	सदस्य	कृषि
8-श्री शिव कुमार सिंह पुत्रश्री गोरा सिंह	ग्राम व. प्रो० जोशोरा जिला-एटा	सदस्य	समाजसेवा
9-श्री मदन लाल पुत्रश्री रिंगीराम	ग्राम हरचन्दपुर पो० परसौन जिला-एटा	सदस्य	कृषि
10-श्री रामसेनक पुत्रश्री नचान सिंह	ग्राम शिवसिंहपुर पो० जारखी जिला-फिरोजाबाद	सदस्य	समाजसेवा
11-श्री सुगंत कुमार पुत्रश्री पूरन सिंह	ग्राम लग्नेदपुर पो० एका जिला-फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि
12-श्रीमती लक्ष्मा पत्नीश्री विवेक यादव	ग्राम व. पो० लहरा जिला-एटा	सदस्य	गृहणी
13-श्री प्रेमाल सिंह पुत्रश्री धूरी सिंह	ग्राम हरचन्दपुर खुर्द पो० नगलाधनू एटा	सदस्य	कृषि
14-श्रीमती शशी पत्नीश्री उमेश चन्द्र	मो० हालीपुरा एटा	सदस्य	सदस्य
15-श्री कुंवराल सिंह पुत्रश्री हीरा सिंह	ग्राम हरचन्दपुर कलों पो० छहैना जिला-एटा	सदस्य	कृषि

6-हम निन हरताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि उक्त रमृति-पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि०-२१ सन् १८६० के अन्तर्गत एक समिति वा पंजीयन करता चाहते हैं।

दिनांक- ३०-११-२००३

२००१८६०

जलजीत सिंह  
विलालबालबिह  
गोलशत्यावद

सचिव  
गोलशत्यावद  
ग्राम खुर्द, एटा

हरताक्षर  
मुकुल भट्ट  
जलजीत सिंह  
गोलशत्यावद  
ग्राम खुर्द, एटा

Scanned with CamScanner

## नियमावली

- 1—संरथा का नाम—
- 2—संरथा का पता—
- 3—संरथा का कार्यक्षेत्र—
- 4—संरथा के उद्देश्य—
- 5—संरथा की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग—

श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति ।

निकट रेलवे स्टेशन शान्तीनगर एटा ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।

राज्यान्वयन की पत्र के अंकितानुसार ही होंगे ।

जो सज्जन इस संरथा के उद्देश्यों व नियमों में आरथा एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चंदा देंगे वे इस संरथा के सदस्य बनाये जा सकेंगे । जो निम्न वर्ग वर्ग होंगे—

संरक्षक सदस्य—जो सज्जन इस संरथा को एक मुश्त 5000/- रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निरचार्य भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संरथा के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे ।

आजीवन सदस्य—जो सज्जन इस संरथा को एकमुश्त 10,000/- रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निरचार्य भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संरथा के आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य—जो सज्जन इस संरथा को 250/- रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया देंगे वे इस संरथा के सामान्य सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य—ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संरथा को महसूस हो रही होंगी एवं संरथा वा तन, मग, धन से राहयोग करने के लिये तालर रहते हों व जो विद्वान होंगे अवधार हारा समानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों जगपतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यपालिणी समिति दो वर्ष के लिये संरथा का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी औ संसद द्वारा सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संरथा व्यवस्था द्वारा होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न

- 6—सदस्यता की समाप्ति—1—सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2—आचरण भास्त होने एवं संरथा विरोधी कार्य करने पर ।

3—किसी न्यागालग हारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4—सदस्यता शुल्क सभग से अदा न करने पर ।

5—संरथा की लगातार तीन घैलकों में विना किसी कारण के वतांग अनुपस्थित रहने पर ।

6—किसी सदरण गं विरुद्ध 2/3 वहमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7—सदस्य हारा न्याग—पत्र दिये जाने पर य उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता खत ही समाप्त मानी जावेगी ।

- 7—संरथा के अंग—(अ) साधारण सभा (ग) प्रबन्धकारिणी समिति ।

सदस्य प्रतिलिपि

उपलिख्य  
प्रबन्ध उपर्युक्त वया दोषाद्वारा  
जावशा द्वेष, जावश

16/12/03

३२४८  
संघिव  
श्री०४८० महाविद्यालय  
हुरमन्दगुर खुर्द, एटा

## 8—साधारण सभा—

(अ) गठन— साधारण सभा का गठन संस्था के राभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

(ब) बैठकें— साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना—अधिकारी—साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित रा पार्यात् माध्यम से सदस्यों को दी जाएगी ।

(द) गणपूर्ति—गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपरिथिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि—संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तारी नी जावेगी ।



## 9—प्रवन्धकारिणी समिति—

(अ) गठन—प्रवन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारणसभा में से बहुमत से 15 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रवन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उपसचिव, एक कोपाध्यक्ष, एक लेखापरीक्षक एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे ।

कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से नभी आवश्यकता नुसार घटाई रा बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक स अधिक 15 होगी ।

(ब) बैठकें—प्रवन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना—अधिकारी—प्रवन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित रा पार्यात् माध्यम से सदस्यों को दी जावागी ।

(द) गणपूर्ति—गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपरिथिति का कोरम होगा ।

सचिव  
सीएस० महाविद्यालय  
हरयाणा खुर्द, रोटा

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति-प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत गदि कोई आकस्मिक रथान रिक्त हो जाता है तो इस रथान/पद की पूर्ति साधारण रामा के वहमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी।

८०१८६८

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-

- 1- संस्था ने उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।
- 2- नियमों विभिन्नमां में संशोधन परिवर्तन परिवर्तन उपर्युक्त अधिकारी 2/3 वहमत से कर उन्हें साधारण सभा से स्वीकृत करना।
- 3- गार्पिक वजात व गार्पिक कार्यकार्यों की रूप रेखा तैयार करना।
- 4- संस्था ने विभाग हेतु दोन्दीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/गंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं वैरिटीयि ल कार्यों पर लाय करना।
- 5- संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना।

(ल) कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

#### 10- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-



- 1- संस्था की ओर से समरत प्रकार की भीटिंगों की अध्यक्षता करना।
- 2- भीटिंग बुलाना व विधिगत करना, किसी विषय पर वरावर मत वी दशा में अपना नियंत्रणक मत दना।
- 3- संस्था की नार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत नार्यों को करना व संस्था की आम दस्तावेज करना।

अधिकारियों में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना। रामान्या विधितियों में उनका सहयोग करना।

सचिव-

- 1- संस्था की ओर से समरत प्रकार का पत्राचार करना, भीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, भीटिंग कार्यवाही लिखना।
- 2- संस्था के कार्यकार्यों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।
- 3- संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्याशुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।
- 4- संस्था की ओर से समरत प्रकार की अदालती कार्यवाही तो पैरवी करना एवं अभिलेखों वाले आगे पास सुरक्षित रखना।
- 5- संस्था के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों/विद्यालयों में कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं वाले विभिन्न विस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, गतग भरते तथ्य करना व उसका भुगतान करना।
- 6- संस्था ने रागत आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, नोटों, ड्राइवों व धनक विलेखों विल-यात्राओं पर हस्ताक्षर करना।
- 7- संस्था के विवाह हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना।

सचिव  
सी०एस० महाविद्यालय  
हरचन्दपुर खुर्द, एटा

**उपसचिव-**

संस्था के सचिव को अनुपरिस्थिति में उनके द्वारा साँपे गरे कार्य करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

**कोषाध्यक्ष-**

- 1—संस्था के आग-द्वारा का लेखा जोखा रखना एवं समर्त आग-द्वारा वही पत्रों को तैयार करना ।
- 2—संस्था के तोष तो संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।
- 3—सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व विल वाङ्गवरों का भुगतान करना ।

लिखित परीक्षक  
उत्तराधिकारी

लि 2 ११६०

प्रधान

11—संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—  
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, यांत्रिक सासारणियों की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12—संस्था का क्रोध द्वारा लिखा व्यवरथा—संस्था का कोप किसी भी नार्दायकृत वेक गा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जाना । जिसका संचालन संस्था के सचिव के हाथों से होगा ।

13—संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)—संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सब समाप्ति पर किसी योग्य एक्टुएट एक्स्ट्रेंज द्वारा कराया जावेगा ।

14—संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—  
संस्था द्वारा होने वाली समर्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15—संस्था के अभिलेख:- 1—सदरगता रजिस्टर 2—कार्यवाही रजिस्टर ।  
3—कैशनुक रसीद बुक, एजेण्डा रजिस्टर 4—निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

16—संस्था का विघटन—संस्था वा विघटन और विघटित सम्पत्ति के नियन्त्रण वा कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनांक-30-11-2003

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

एवं फल्स फल्स तथा दोषात्मक  
लाला द्वेष वापश्च  
9/10/2003  
16-12-03

12-12-03  
कृति

कार्यालय उपनिबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

12-ए/339-आवास विकास कॉलौनी, सिकन्दरा योजना आगरा

पत्रांक— 1632

/ए0जी0-35002/आगरा

दिनांक— 24.3.15

सेवा में,

श्री चरन सिंह/सचिव

श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति

निकट रेलवे स्टेशन शान्ती नगर, एटा।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 08.03.2015 के साथ संलग्न शपथपत्र के आधार पर अवगत कराना है कि संस्था श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति निकट रेलवे स्टेशन, शान्ती नगर एटा की पंजीकरण संख्या 1853/2003-04 दिनांक 16.12.2003 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन 21 सन् 1860 के अन्तर्गत अव्यवसायिक, अलाभकारी एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया गया है।

अवदीय

(ए0जी0 सिंह)

सचिव  
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन  
एटा काला चौक, एटा

12-3

सचिव  
सी0एस0 महाविद्यालय  
हरचन्दपुर खुर्द, एटा